

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 834 / 2011 / धौलपुर.

मैसर्स आदित्य सीमेन्ट सेल्स, धौलपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 13 / 02 / 2014**

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 92/उपा-अपील्स/18.11.09/ में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2001-02 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 29(4) के तहत तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 5.12.2003 की पुष्टि की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2001-02 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 2.12.2003 को अधिनियम की धारा 29(4) के तहत पारित किया गया। उक्त आदेश में व्यवहारी द्वारा टर्नओवर टैक्स का विकल्प लिया जाना अवधारित करते हुए प्रशमन शुल्क रुपये 4800/- एवं ब्याज रुपये 2184/- का आरोपण किया गया। तत्पश्चात ऑडिट द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के लिये प्रशमन शुल्क का विकल्प नहीं लिये जाने का आक्षेप किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन आदेश दिनांक 5.5.2005 को जारी करते हुए आलौच्य अवधि में

लगातार.....2

व्यवहारी का टर्नओवर रूपये 1,43,38,105/- पर 0.25 प्रतिशत की दर से टर्नओवर टैक्स रूपये 35,845/- व ब्याज रूपये 15,054/- कुल रूपये 50,899/- का आरोपण करते हुए पूर्व में आरोपित राशि रूपये 6,984/- कम करते हुए रूपये 43,915/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का मूल कर निर्धारण प्रकरण के तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्पन्न किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधनीय नहीं था। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने ऑडिट आक्षेप के आधार पर संशोधन कर टर्नओवर टैक्स व ब्याज आरोपित कर विधिक भूल की है। तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :-

(i) (2007) 7 एस.टी.टी. 84 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, बीकानेर बनाम मैसर्स एन.एच. इण्डस्ट्रीज लूणकरणसर,

उक्त निर्णय में निर्णीत किया गया है कि :-

**"Even where the authority on weighing the contentions may come to the conclusion that its earlier order on merit was erroneous unless such mistake is within the ambit of mistake apparent from record, it does not get jurisdiction to correct the error by way of rectification."**

(ii) (2000) 27 आर.टी.जे.एस. 158 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त पाली बनाम मैसर्स दीपक टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज, पाली

उक्त निर्णय में निर्णीत किया गया है कि :-

**"Rectification - Jurisdiction u/s. 17 cannot be exercised for the purpose of reviewing earlier order passed on merits. The earlier decision whether right or wrong cannot be reviewed by the same authority except it falls within the four corners of Section 17. Merely an error of judgment does not fall within the purview of Section 17."**



लगातार.....3

- (iii) (2012) 34 टैक्स अपडेट 102 (राजस्थान कर बोर्ड-खण्डपीठ) मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा

उक्त निर्णय में निर्णीत किया गया है कि :-

“माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692/2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, मूल निर्धारण आदेश में संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से 9 प्रतिशत की दर से करारोपण किये जाने के कारण, घोषित/निर्धारित विक्रय पर विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 व वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत कार्यवाही कर, परिशोधन करना विधिअनुकूल नहीं है।”

अग्रिम कथन किया कि टर्नओवर टैक्स के लिये अपीलार्थी देरी से प्रार्थना-पत्र पेश करने पर भी देरी माफी करते हुए प्रशमन का लाभ स्वीकार मूल आदेश में किया था, जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2005) 13 टैक्स अपडेट 17 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी जालोर बनाम अम्बिका सीमेंट उद्योग व (2009) 23 टैक्स अपडेट 137 (राजस्थान कर बोर्ड-एकलपीठ) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ब्यावर बनाम रामप्रसाद रामविलास से समर्थित होने के कारण विधिसम्मत था। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधन आदेश पारित करविधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने न्यायिक दृष्टान्तों के सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं कर विधिक भूल की है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त कर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपील अपास्त किये जाने पर बल दिया। उनका कथन है कि व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रशमन शुल्क जमा कराने संबंधी आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया था, जिसके अभाव में प्रशमन शुल्क आरोपण करना रिकॉर्ड पर परिलक्षित भूल होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से धारा 37 के तहत बाद सुनवाई संशोधन आदेश पारित कर कोई भूल नहीं की है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि व्यवहारी के प्रथम वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा 29(4) के तहत किया गया है, जिसमें प्रशमन राशि व धारा 61 के तहत शास्ति व ब्याज आरोपित किया था। कर निर्धारण




अधिकारी के ध्यान में ऑडिट दल द्वारा लाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा टर्नओवर टैक्स के लिये प्रशमन शुल्क जमा कराने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी प्रशमन शुल्क व ब्याज आरोपित किया गया है, यह रेकॉर्ड पर परिलक्षित स्पष्ट भूल थी। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने 0.25 प्रतिशत की दर से टर्नओवर टैक्स आरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो तामील होने के बावजूद भी व्यवहारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि मूल आदेश संशोधनीय नहीं था तथा विविध न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा प्रशमन शुल्क हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने का तथ्य स्पष्ट है तथा आवेदन बाद में भी कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशमन शुल्क के लिये आवेदन के अभाव में प्रशमन शुल्क निर्धारण करना रेकॉर्ड से उपलब्ध भूल है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक प्रावधान अनुसार 0.25 प्रतिशत की दर से टर्नओवर टैक्स आरोपित किया है। उद्धरित निर्णय भिन्न तथ्यों के कारण प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। (2000) 27 आर.टी.जे.एस. 158 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व निर्णय को पुनर्विलोकन (Review) करते हुए संशोधन आदेश पारित किया था। (2012) 34 टैक्स अपडेट 102 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 2.12.2005 की अधिसूचना पर मत भिन्नता के कारण संशोधन आदेश को कर बोर्ड ने अविधिक माना है।

इसी प्रकार अन्य निर्णय (2005) 13 टैक्स अपडेट 17 (राज.) व (2009) 23 टैक्स अपडेट 137 (राजस्थान कर बोर्ड-एकलपीठ) - इसलिए लागू नहीं होते कि प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा प्रशमन शुल्क के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया था।

उक्त विवेचन अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 37 के विधिक कार्यक्षेत्र के तहत ही आदेश पारित किया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उसकी पुष्टि विधि अनुसार की गयी है।

अवर अधिकारियों के आदेशों में विधिक त्रुटि के अभाव में उनकी पुष्टि की जाकर अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
13/2114